



**उत्तर प्रदेश शासन,
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग,
संख्या-159/आई/1464557/2026/89-1001(009)/1/2026
लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2026**

कार्यालय-आदेश

श्री मोहित तिवारी, प्रधानाचार्य (श्रेणी-2) ग्रेड पे- रु0 5400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के संबंध में निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-आई/506549/2025/UPDTE/25/2026 दिनांक 16.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-361 तथा अधिसूचना सं०-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003, दिनांक 28-03-2005 सपठित अधिसूचना सं०-16/2019/सा-3-322/दस-2019-301 (8)/2015, दिनांक 16.04.2019 के प्रावधानों में निहित व्यवस्थानुसार श्री मोहित तिवारी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 01.10.2020 को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत प्रवक्ता(आटोमोबाइल) के पद पर दिनांक 02.05.2016 से दिनांक 30.09.2020 तक की गई सेवा को मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु वर्तमान सेवा के साथ जोड़े जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करती है कि श्री मोहित तिवारी की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई भिन्न नियम प्रभावी होते हैं, तो उन्हीं नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया गया है।

मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, बरेली।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7. संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्षु०), बरेली मण्डल बरेली।
8. श्री मोहित तिवारी, प्रधानाचार्य, राजकीय आई०टी०आई०, सिविल लाइन, बरेली।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>